ELECTION PRIORITY

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानीय निर्वाचन) जिला–खण्डवा ::

Phone 0733-22231568,
E-mail-deokhandwale@gmail.com

क्रमांक/676 /स्था0नि0शा0/2020

खण्डवा, दिनांक 22/10/2020

//निविदा सूचना//

नगरीय निकायों/त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020–21 हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सुभेदक सीलों एवं अन्य विभिन्न प्रकार की सीलें(रबर सील) बनवाई जाना है। सीले बनाने हेतु स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

विस्तृत निविदा दस्तावेज जिसका मूल्य राशि 200/– (राशि दो सौ मात्र,) है जिले की वेबसाईट www.khandwa.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है । भरी गई निविदा की पूर्णता कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,स्थानीय निर्वाचन, खण्डवा के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रतिभूति राशि 5,000/– (राशि पॉच हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के साथ सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा दस्तावेज क्रय राशि 200/– (राशि दो सौ मात्र) चालान द्वारा मद संख्या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवायें–02–निर्वाचन–800–अन्य प्राप्तियां राज्य निर्वाचन आयोग की प्राप्तियॉ में राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर चालान की मूल प्रति सील्ड लिफाफे के साथ में रखी जावें।

निविदा मय समस्त सहपत्रों के दिनांक 17.11.2020 अपरान्ह 03.00 बजे तक इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। निविदा दिनांक 18.11.2020 को सायंकाल 05.00 बजे निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारियां एवं निर्देश उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

22/10/20

(अनय द्विवेदी)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन, जिला–खण्डवा

पृ0क्रमांक/677/स्था0नि0शा0/2020

खण्डवा, दिनांक 22/10/2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, म0प्र0,राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खण्डवा की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इंदौर की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन, म.प्र. की ओर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सूचनार्थ।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, खण्डवा की ओर सूचनार्थ लेख है कि उक्त निविदा सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
6. अनुविभागीय अधिकारी, खण्डवा, पुनासा, हरसूद, पंधाना की ओर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु सूचनार्थ।
7. तहसीलदार, खण्डवा, पुनासा, हरसूद, पंधाना, की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु।
8. जिला नाजिर, कलेक्टोरेट, खण्डवा की ओर सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु अग्रेषित।
9. सहायक संचालक, जनसम्पर्क जिला–खण्डवा की ओर सूचनार्थ लेख है कि उक्त निविदा सूचना का स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन,जिला–खण्डवा

:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानीय निर्वाचन) खण्डवा ::

Phone 0733-22231568,
E-mail-deokhandwale@gmail.com

चालान क्रमांक..

मूल्य रूपय 200 /– ....   दिनांक..................

निविदा–प्रपत्र

नगरीय निकायों / त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020–21 हेतु उपयोग में लाई जाने वाली सुभेदक सीलों एवं अन्य विभिन्न प्रकार की सीलें (रबर सील) बनवाई जाना है। सीलें बनाने हेतु स्थानीय पंजीकृत तथा अनुभवी शासकीय / अर्द्धशासकीय / निजी संस्थाओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

भाग–1

निविदा समय सारणी :–

01.	जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा के कार्यालय में निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :–	दिनांक – 17.11.2020 समय – 03.00 बजे तक
02.	निविदा खुलने का दिनांक व स्थान :–	दिनांक– 18.11.2020 सायंकाल– 05.00 बजे जिला निर्वाचन कार्यालय, स्थानीय निर्वाचन,खण्डवा

03. ईच्छुक संस्थाओं द्वारा निविदा प्रपत्र वेबसाईट www.khandwa.nic.in, पर देखा जा सकता है। निविदा निर्धारित प्रपत्र में भरी जाकर निर्धारित दिनांक के पूर्व प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा निविदाकार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। निविदा बंद लिफाफे में जिस पर " नगरीय निकायों / त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2020–21 हेतु–सुभेदक सील" लिखा हो, इस कार्यालय में जमा कराई जावें। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा ऐसी निविदाऐं सीधे निरस्त कर दी जावेगी।

04. प्रत्येक निविदा के साथ अमानत राशि के रूप में रूपये 5,000/– (रू.पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी जो कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, स्थानीय निर्वाचन, खण्डवा के पक्ष में देय हो, संलग्न की जावें।

05. निविदा क्रय मूल्य राशि 200/– (राशि रू.दो सौ मात्र) का चालान मद संख्या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं–02 निर्वाचन–800 अन्य प्राप्तियां राज्य निर्वाचन आयोग की प्राप्तियॉं, राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाकर चालान की मूल प्रति सील बंद लिफाफे में रखी जावें।

06. प्राप्त निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियुक्त निविदा समिति एवं उपस्थित निविदाकारों के समक्ष नियत दिनांक एवं समय पर खोले जावेंगे। जिन निविदाकारों की निविदा के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा निविदा क्रय मूल्य का चालान तथा आवश्यक प्रमाणिक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न नहीं होगी वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। अस्पष्ट, अपूर्ण भरी हुई निविदाएं भी अस्वीकृत कर दी जावेगी। निविदा के संबंध में समस्त प्रकार की सूचनाएं संशोधन उपरोक्त दर्शित वेबसाईट पर पोस्ट की जावेगी। अतः निविदाकार को निरंतर वेबसाईट पर विजिट करते रहना चाहिए।

07. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत होगी उसे धरोहर राशि के रूप में रूपये 5,000/– (रू.पांच हजार मात्र) की राशि बैंक ड्राफ्ट / बैंक गारंटी के माध्यम से जो कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,स्थानीय निर्वाचन, खण्डवा के पक्ष मे देय हो, निविदा स्वीकृति की सूचना के दो दिवस के अन्दर जमा करना होगी। धरोहर राशि कार्य समाप्त होने के पश्चात तथा निविदाकार से होने वाली समस्त वसूली के उपरांत वापस की जावेगी। निविदा के साथ प्रस्तुत 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र) अमानत राशि निविदा समिति द्वारा अंतिम निर्णय उपरांत वापस की जावेगी।

08. सफल निविदाकार / निविदाकारों जिन्हें कार्यादेश जारी किया जायेगा, उन्हें म.प्र.राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सुभेदक सीलें (रबर सीलें) आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर बनाकर कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।

2........

9. निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को निम्न शर्तो का पालन करना आवश्यक है।

01. निविदाकारो को शासकीय कार्यालयों में सुभेदक सीलें बनाने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

02. निविदाकार की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। इस हेतु विगत दो वर्ष की बेलेन्स शीट प्रस्तुत की जाना चाहिए। (सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

03. विगत 02 वर्षो की दाखिल की गई आयकर रिटर्न की स्व–हस्ताक्षरित प्रति, पेन नम्बर की प्रति प्रस्तुत की जावें। पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

04. GST पंजीकरण की स्वहस्ताक्षरित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

05. निविदाकार सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मार्गदर्शन नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेगा।

06. आवश्यक सुभेदक सीलों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

07. निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरांत निविदाकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वे सुभेदक सीलें समयावधी में कार्यालय में उपलब्ध करावें विलम्ब अथवा शिकायत के लिए उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा एवं प्रतिभूति की राशि राजसात की जावेगी।

10. निविदाकार द्वारा जिस दर पर निविदा प्रस्तुत की जावेगी उसमें यह माना जावेगा कि उस दर में समस्त प्रकार के कर एवं व्यय सम्मिलित है।

11. जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा को यह अधिकार होगा कि गुण–दोष के आधार पर बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत कर सकते है।

12. स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये मान्य होगी। सामग्री की गुणवत्ता एवं आवश्यकतानुसार कार्यादेश में वर्ष 2021–22 तक के लिये वृद्धि की जा सकेगी।

13. निविदाकार निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट–5 में संलग्न प्रमाण–पत्र में हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करेंगे।

14. निविदाकार से आयकर एवं वाणिज्य कर के नियमानुसार कटोत्रे उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से किये जावेंगे पेन नम्बर/टिन नम्बर की प्रति संलग्न की जावें।

15. किसी भी तरह के विवाद में अंतिम निर्णय ,जिला निर्वाचन अधिकारी खण्डवा द्वारा लिया जावेगा जो सर्वमान्य होगा।

16. यदि निविदाकार द्वारा निर्धारित शर्ते एवं प्रक्रिया तथा जिला निर्वाचन अधिकारी,खण्डवा द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी। निविदाकार को किसी भी तरह का कोई भुगतान नहीं किया जावेगा एवं उसकी कीमत पर किसी अन्य संस्था से सुभेदक सीलें बनवाई जावेगी ।

17. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खण्डवा द्वारा सुभेदक सीलें के संबंध में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण एवं उपयोगकर्ता अधिकारियों के सत्यापन तथा प्रमाणीकरण उपरांत स्वीकृति योग्य पाई गई राशि में से नियमानुसार आंशिक राशि का भुगतान आवंटन की उपलब्धता अनुसार किया जावेगा। शेष राशि का भुगतान नियमानुसार कार्योत्तर स्वीकृति एवं आवंटन प्राप्त होने पर तथा आवश्यक कटोत्रों के समायोजन पश्चात किया जावेगा।

18. निविदाकार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नही किया जावेगा।

19. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

20 उक्त निविदा जिला मुख्यालय खण्डवा पर निर्वाचन कार्य हेतु आवश्यक सुभेदक सीलें उपलब्ध कराना होगा । पृथक से आने–जाने का भाड़ा, हम्माली अथवा अन्य व्यय देय नहीं होगा।

21. निविदा प्रपत्र का क्रय , निर्धारित क्रय मूल्य का भुगतान करते हुवे किया जाना चाहिए।

22. निविदाकार अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी,स्थानीय निर्वाचन, खण्डवा के कार्यालय में कार्यालयीन कार्य दिवस एवं समय में संपर्क स्थापित कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है।

23. सुभेदक सीलों की दरें प्रति लाईन के मान से भी अंकित की जावें ।

(अनय द्विवेदी)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन, जिला–खण्डवा

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

नगर पालिका आम निर्वाचन (ई.व्ही.एम.) हेतु सुभेदक सीलो के नमूने

सं.क्र	सील का प्रकार	सील नमूना	प्रति नग दर
1	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)	जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर परिषद) जिला......................	
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर परिषद)........... जिला.............	
3	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगरपालिका)............	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर परिषद).............जिला......................	
4	रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका).....................	रिटर्निंग ऑफिसर (नगर परिषद).......... जिला	
5	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (नगरपालिका)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (नगर परिषद) ....जिला	
6	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	नगर पालिका परिषद................. मतदाता सूची चिन्हित प्रति वार्ड क्रमांक.......................... मतदान क्रेन्द्र क्रमांक.........................	
7	सुभेदक रबर मुहर	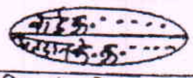	
8	खारिज मत पत्र की शील	प्रतिक्षेपित (खारिज)–कारण नियम 66(4) क. प्ररूप 19–ग में घोषणा अप्राप्त ख. घोषणा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या अभिप्रमाणित नही ग. घोषणा अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण घ. घोषणा में अंकित मतपत्र क्रमांक प्ररूप–19–क पर पृष्ठाक्ति मतपत्र क्रमांक से भिन्न .... रिटर्निंग ऑफिसर(न.पा.)	
9	खारिज मत पत्र की शील	प्रतिक्षेपित (खारिज)–कारण नियम 66(8) क. मतपत्र पर मतदाता की पहचान वाला चिन्ह ख. मतपत्र पर मत अभिलिखित नही ग. एक से अधिक अभ्यार्थी के लिये मतांकन घ. मत पत्र वनावटी है। ड़. मत पत्र क्षतिग्रस्त/विकृत च. मत पत्र निर्धारित लिफाफा 19–क में बन्द नही छ. मतांकन स्पष्टरूप किसी अभ्यार्थी के पक्ष में नही .... रिटर्निंग ऑफिसर(न.पा.)	

22/10/22

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन, जिला खण्डवा

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

पंचायत आम निर्वाचन हेतु सुभेदक सीलो के नमूने

सं.क्र	सील का प्रकार	सील नमूना	प्रति नग दर
1	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत)...........	जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) जिला...........	
2	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)..........	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)............जिला..........	
3	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत).............	सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत)...........जिला...........	
4	रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)......	रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)...........जिला..........	
5	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)....................	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत)............जिला	
6	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति	मतदाता सूची की चिन्हित प्रति बार्ड क्रमांक.......भाग क्रमांक.....	
7	सुभेदक मुहर पंच/सरपंच	खण्ड............... मतदान क्रेन्द्र क्रमांक.... ग्राम पंचायत....... वार्ड क्रमांक.....	
8	सुभेदक मोहर ज.प./जिला पंचायत	खण्ड......... म.के.क्र. नि.क्षे.क्र.......... ज.प.................... जि.प.........................	
9	पीठासीन अधिकारी की मुहर	पीठासीन अधिकारी मतदान क्रेन्द्र क्रमांक............... खण्ड.................	
10	प्राधिकृत अधिकारी की मुहर	प्राधिकृत अधिकारी मतदान क्रेन्द्र क्रमांक.............. खण्ड.................	
11	खारिज मत पत्र की मुहर	प्रतिक्षेपित (खारिज) आधार............................... नियम 76 (1)....................	

हस्ताक्षर

कलेक्टर एवं [illegible] अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन, जिला खण्डवा